



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082023-248348  
CG-DL-E-25082023-248348

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3620]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2023/भाद्र 1, 1945

No. 3620]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA 1, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2023

का.आ. 3780(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का. आ. 1567(अ) दिनांक 4 अप्रैल, 2022, और अंतिम अधिसूचना एस.ओ. 2943(अ) दिनांक 28 अगस्त, 2020 के अधिक्रमण में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in) पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जहाँ कि, सेस्सा आर्किड अभयारण्य 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। अभयारण्य को 19 जुलाई 1982 को अधिसूचना सं.एफओआर.32/आईएनडी-1/82/17706-45 दिनांक 19.07.1982 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

**और जहाँ कि,** ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य 217 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पश्चिम कामेंग जिले के सिंगचुंग प्रशासनिक सर्कल में स्थित है। अभयारण्य को सीडब्ल्यूएल/डी/27/89/3101-3174 दिनांक 18.10.1989 को अधिसूचित किया गया था;

**और जहाँ कि,** सेस्सा आर्किड अभयारण्य क्षेत्र में उपलब्ध स्वदेशी आर्किडों के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य यथास्थान आर्किडों के विकास सहित सुरक्षा और संरक्षण के लिए है। आर्किड की सुरक्षा और संरक्षण के अलावा, यह अभयारण्य में पाए जाने वाली वन्यजीव का संरक्षण और समृद्ध जैव विविधता में भी मदद करता है;

**और जहाँ कि,** पाक्के बाघ रिज़र्व अरुणाचल प्रदेश के पाक्के केसांग जिले में स्थित है। यह उत्तर में टेंगा रिज़र्व वन, पश्चिम में डोइमार रिज़र्व वन, दक्षिण में नामेरी नेशनल पार्क और बाघ रिज़र्व (असम) और पूर्व में कुछ कृषि भूमि के साथ-साथ पापम रिज़र्व फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र पहले पाखुई आरक्षित वन के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया, जिसे 19 अप्रैल 2001 को अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूएल/डी/26/94/1393-1492, दिनांक 19.04.2001 द्वारा अधिसूचित किया गया। 2002 में, 19 अप्रैल 2002 को अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूएल/डी/26/94/154-92, दिनांक 19.04.2002 के तहत पाखुई वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर पाक्के वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। बाद में 2002 में, 23 अप्रैल 2002 को अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूएल/डी/20/94/1742-1791, दिनांक 23.04.2002 के माध्यम से पाक्के वन्यजीव अभयारण्य को पाक्के बाघ रिज़र्व घोषित किया गया।

**और जहाँ कि,** ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य की जैव विविधता में विविध जीवजंतु समुदायों जैसे लाल पांडा (*ऐलुरुस फुल्गेन्स*), हिमालयन शेरोव (*क्रेप्रीकोरनीस थार*) और लमचिता (*नेओफेलिस नेबुलोसा*) संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित होते हैं।

**और जहाँ कि,** ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से पक्षी समुदाय और दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। एक उल्लेखनीय पक्षी-जीव प्रजाति बुगुन लिओसिचला (*लिओसिचला बुगुनोरूम*), है जो संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कुछ स्थानों से पाई जाती है। यहाँ अन्य दुर्लभ पक्षी जैसे सौन्दर्य युक्त नाटहेच (*सिट्टा कास्टेनिया*), बेलीथ टैगोपैन (*टैगोपैन बलीथी*) और रूफस-नेकड हॉर्नबिल (*अकेरोस निपलेन्सिस*) पाए जाते हैं।

**और जहाँ कि,** ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य दुर्लभ तितलियों जैसे लुडलो भूटान ग्लोरी (*भूटानिटीस लुडोवि*), तिब्बतिन ब्रिमस्टोन (*गोनार्थेक्स अमिथा थिबेटा नेनेकुटेको*) और लुप्तप्राय पौधों में शामिल कुछ शानदार रहोडोडेंड्रोन प्रजातियों का वास है। इस भव्य विविधता के अलावा, अभयारण्य के अंतर्गत बृहत प्रजातियां जैसे एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), भारतीय गौर (*बोस गौरस*), और रेथ हॉर्नबिल (*रहितिकेरोस उनदुलाटस*) का वास है;

**और जहाँ कि,** उत्तर-पूर्व भारत के जंगलों को उनकी पुष्प और जीव प्रजातियों की समृद्धि के कारण 'वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट' और 'स्थानिक पक्षी क्षेत्र' के रूप में पहचाना जाता है। इस परिदृश्य में उच्च प्रजाति विविधता और स्थानिकता है क्योंकि यह भारतीय और मलायन पर्यावरण-क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र बनाता है।

**और जहाँ कि,** उत्तर-पूर्व भारतीय बाघ परिदृश्य के दो महत्वपूर्ण भाग ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान और उत्तर-पूर्व भारतीय पहाड़ियाँ हैं। पाक्के और नामेरी बाघ रिज़र्व असम के मैदानी इलाकों और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी जंगलों के बीच संक्रमण क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित हैं। साथ में, वे उत्तर-पूर्व में अर्ध-सदाबहार और सदाबहार वनों के सबसे बड़े ब्लॉकों में से एक ब्लॉक बनाते हैं।

**और जहाँ कि,** वे उत्तर-पूर्व भारतीय जंगलों के भीतर निकटता बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण हैं और पश्चिमी असम और अरुणाचल के जंगलों के बीच में स्थित हैं। पश्चिम में, वे सेस्सा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से सोनाई-रूपई वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े हुए हैं, दक्षिण में काजीरंगा बाघ रिज़र्व और कार्बी-आंगलॉग पहाड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं, और उत्तर की ओर, वे टेल घाटी और लोअर सुबनसिरी से जुड़े हुए हैं। वन, जो पूर्व-सियांग और आगे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले में नामदाफा बाघ रिज़र्व से सटे हुए हैं।

**और जहाँ कि,** क्षेत्र में मुख्य वनस्पति प्रजातियां हॉलॉक (*टर्मिनेलिया मायरियोकार्पा*), बोनसम (*फोबे गोलपेरेंसिस*), अमारि (*अमोरा वाल्लिची*), बोरपट (*ऐलेन्थस ग्रैंडिस*), सतिआना (*एलस्टोनिया स्कोलारिस*), हाटिपोइला (*पटेरोस्पर्मम एसिरिफोलियम*), समकथल (*आर्टोकार्पस चपलासा*), नाहर (*मेसुआ फेरिया*), टिटसोपा (*मिशेलिया चंपाका*), जुटुलि (*अल्टिंगिआ एक्सेला*), सोपा (*मैगनोलिया स्पीसिज़*), बोगिपोमा (*चक्रासिया टेबुलारिस*), पोमा (*टूना सिलिआटा*), उदल (*स्टेरकुलिआ विलोसा*), हिंगोरी (*कास्टेनोप्सिस स्पीसिज़*), हिलिका (*टर्मिनेलिया चेबुला*), धूना (*कैनेरियम*

रेसनिनिफेरम), गोनसोरोइ (सिन्नामोमम सेसिकोडाफने), गामारि (गमेलिना अबोरिया), पिचोला (कीडिया कैलीसिना), बोहेरा (टर्मिनेलिआ बेलेरिका), आदि विद्यमान हैं;

**और जहाँ कि,** पाक्के बाघ रिज़र्व, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा आर्किड अभयारण्य मुख्य जीवजंतु प्रजातियों जैसे रीसस मैकाक (मकाका मुलाट्टा), एसामेसे मकाक (मकाका एसामेसिस), कैण्ड लंगूर (ट्रेचपिथेकस पिलेटस), मुंजक या भारतीय मंटजेक (मुंटियाकस मंटजेक), सांबर (सर्वस यूनिकलर), सीरो (नैमोरहेडस सूमात्रानसिस), बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), एशियाई हाथी (एलीफास मैक्सिमस), एशियाई काला भालू (उर्सस थिबेटानुस), जंगली कुत्ता (कुओन अल्पाइनस), बाघ (पैंथरा टिग्रिस), सामान्य तेंदुआ (पैंथर पार्डस), लमचित्ता (नियोफेलिस नेबुलोसा), मार्बल्ड कैट (पार्डोफेलिस मार्मोराटा), जंगली कैट (फेलिस चौस), लैपर्ड कैट (प्रियोनैलुरस बेंगालेंसिस), फिशिंग कैट (प्रियोनैलुरस विवेरिनस), फेरट बैजर (मेलोगेल पर्सोनाटा), सामान्य मुसंग (पैराडाक्सुरस हेमैफ्रोडाइटस), येलो थ्रोटेड मार्टन (मार्टेस फ्लेविगुला), स्मॉल एशियन मोंगूस (हर्पेस्टेस जावानिकस), ग्रे मोंगूस (हर्पेस्टेस एडवर्डिस), चाईनीज़ पैंगोलिन (मानिस पेंटाडैक्टीला), मोल (यूरोसैप्टर मिकरुरा), हिमालयन क्रेस्टलेस स्केरिल (हीस्ट्रिक्स ब्राच्युरन), मालायन जाईट स्केरिल (रतुफा बाईकलर), होरी बेलिड हिमालयन स्केरिल (कालोससियुरस पाइगेरीथ्रस), पलास स्केरिल (कालोससियुरस एरीथ्रायस), ऑरेंज-बेलिड हिमालयन स्केरिल (डेमोमीस्लोक्रिया), सिक्किम माउस (मुस पहाडी), माइक्रो पाम माउस (वैंडेलुरिया ओलेरासिया), बैंडिकॉट माउस (बैंडिकोटा बेंगालेंसिस), जंगली माउस (रैटस सिक्कीमेंसिस), बैम्बू माउस (राइजोमिस प्रुइनोसस), हाउस या ग्रे मस्क थ्रू (सनकस मुरिनस), ग्रे थ्रू - (क्रोकिडुरा एटेन्यूएट), ट्री थ्रू (ट्रुपैया बेलांगेरी) और मेगा काइरोप्टेरा समूह के चमगादड़, आदि आश्रय प्रदान करते हैं। गैंट फ्लाईंग फॉक्स को छोड़कर विशेषज्ञता की कमी के कारण प्रजातियों की पहचान नहीं की जा सकती;

**और जहाँ कि,** पाक्के बाघ रिज़र्व, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा आर्किड अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

**अतः,** अब, केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के पाक्के बाघ रिज़र्व, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा आर्किड अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य (0) से 37.60 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पाक्के बाघ रिज़र्व, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा आर्किड अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे एतश्मिन् पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, यथा:-

**1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-** (1) पाक्के बाघ रिज़र्व, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा आर्किड अभयारण्य की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0 से 37.60 किलोमीटर होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन 766.20 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार विभिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में निम्न रूप से है:

दिशाएं	विस्तार
उत्तर	1 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	1 से 2.5 किलोमीटर
पूर्व	2.0 से 37.60 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1.0 किलोमीटर
दक्षिण	0 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	1 किलोमीटर
पश्चिम	1 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	1 किलोमीटर

**टिप्पण:** पारिस्थितिकी संवेदी जोन की शून्य सीमा असम के नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिज़र्व के कारण पाक्रे वन्यजीव अभयारण्य और बाघ रिज़र्व के दक्षिणी भाग में स्थित है। अभयारण्य की सीमा चोटियों और घाटियों, जलधाराओं और नालों जैसी प्रमुख और ध्यान देने योग्य विशेषताओं से युक्त है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक -I** में है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक -IIक, अनुलग्नक -IIख और अनुलग्नक -IIग** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पाक्रे बाघ रिज़र्व, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक -III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक -IV** के रूप में संलग्न है।

## 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी जिसे राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- I. पर्यावरण;
- II. वन और वन्यजीव;
- III. कृषि;
- IV. राजस्व;
- V. शहरी विकास;
- VI. पर्यटन;
- VII. ग्रामीण विकास;
- VIII. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- IX. नगरपालिका;
- X. पंचायती राज; और
- XI. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा इस आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों और सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। योजना की वर्तमान एवं प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्रों द्वारा सहायता की जाएगी।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया तैयार की जाएगी और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषेध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चयन एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का प्रमुख वृहद वाणिज्यिक या प्रमुख आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

- (i) वर्तमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी संरचनाओं और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में यथा उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास के क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति का विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधारे जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकास.-** सभी प्राकृतिक झरनों/नदियों/नालों के जलग्रहण क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जाएगा और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध किया जा सके।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.-**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगा।

(घ) पर्यटन महायोजना को पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, यथा:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या 'रिजॉर्ट्स' के नये निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट्स की स्थापना की अनुमति होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले मूल्यवान प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनके सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसमें संशोधन के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें संशोधन के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिस्त्राव का निस्सरण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए सामान्य मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की अनुमति होगी।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की अनुमति होगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन उदाहरणार्थ के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-**

(क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-**

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों, जिसमें तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (ईआईए), 2006 शामिल है, सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अधिशासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, यथा:-

## सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और भ्रजन इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और भ्रजन इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुपालन में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी घातक पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिःस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि उड़ाना।	प्रतिषिद्ध।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की अनुमति नहीं होगी और न ही वर्तमान आरा मिलों का विस्तार किया जा सकेगा।
8.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु व अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति



		<p>नहीं होगी:</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुमति होगी।</p>
10.	निर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी:</p> <p>परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	<p>फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।</p>
12.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शमनात्मक उपायों के साथ किये जा सकेंगे।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।

	पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	
20.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्चाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्चाव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्चाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
21.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि, कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
23.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	विदेशी प्रजातियों की शुरुआत करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>ग. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
28.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

### 5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-

इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्र सरकार एक निगरानी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामतः

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	उपायुक्त, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश	अध्यक्ष;
2.	सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
3.	शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि, पश्चिम कामेंग जिला, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य;

4.	लोक निर्माण विभाग, पश्चिम कामेंग जिला, पाक्के केसांग जिला, अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पश्चिम कामेंग जिला, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (विरासत संरक्षण सहित) का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
7.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
8.	संभागीय वनाधिकारी, शेरगांव (ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य)	सदस्य;
9.	संभागीय वनाधिकारी, खेललोग (सेस्सा आर्किड अभयारण्य)	सदस्य;
10.	संभागीय वनाधिकारी, पाक्के वन प्रभाग पाक्के वन्यजीव अभयारण्य और बाघ रिज़र्व	सदस्य-सचिव

### 6. निगरानी समिति के कार्य:-

- (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।
- (2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
- (4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, मामले दर मामले के आधार पर और आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकती है।
- (5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।
- (6) केन्द्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

**7. अतिरिक्त उपाय:-** इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

**8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश:-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/08/2021-ईएसजेड]

डॉ. एस केकेट्टा, वैज्ञानिक-जी

## अनुलग्नक - I

## सारणी क: पाक्रे वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशा	विवरण
उत्तर	सीचम के निकट भोरली नदी बिंदु से, जब यह अपने पश्चिमी किनारे को दक्षिण की ओर ले जाती है। इसके बाद भोरली के दाएं तट के साथ यह पस्सूनी नदी के साथ होने वही अपने संगम से पूर्व की ओर जाती है, इसके बाद यह मीरी इपथा नदी के साथ अपने संगम से लगभग 4 मील पूर्व की ओर यह किसी एक सहायक नदी के साथ पूर्व की ओर संगम में पस्सूनी नदी के दाएं तट में पस्सूनी नदी के दाएं तट के साथ जाती है।
पूर्व	इसके बाद यह सहायक नदियां दाएं तट के साथ दक्षिण की ओर जाकर और पखुई नदी के सहायक नदियों में से एक के स्रोत के रिज़ को पार कर के जाती है (जो कि सहायक नदियां पखुनी नदी के साथ जंक्शन से लगभग 4/1 मील सेमा से एक्सेलनगगानिया तक फुटपाथ को पार करके जाती है)। इसके बाद पखुई नदी सहायक नदी के बाएं तट के साथ जाती है।  इसके बाद यह पखुई नदी के दाएं तट के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह आंतरिक रेखा को पार करती हुई जाती है।
दक्षिण	इसके बाद ये आंतरिक रेखा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह भोरली नदी को पार करती हुई जाती है।
पश्चिम	इसके बाद भोरली के बाएं तट के साथ-साथ उत्तर की ओर आंरभिक बिंदु जाती है।

## सारणी ख: ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशाएं	विवरण
उत्तर और पूर्व	यह सीमा नगनपे (जी आर 707355) के 2966 उन्नतांश बिंदु से सीमा जीआर 723351, 727364, 732368, 736372, 738375, 734383 से होते हुए पहाड़ी रास्ते के साथ-साथ कृत्रिम रेखा बनाती जाती है, जहां यह दोईमारा शेरगांव फुटपाथ तक मिलती है। इसके बाद फुटपाथ के साथ-साथ उत्तर पश्चिम में पिरला, शेरगांव फुटपाथ पूर्व की ओर जंक्शन तक जाती है। यह पिरला जीआर 815408 (उन्नतांश 2829) में चाकू थुंगरे फुटपाथ से मिलती है।  इसके बाद यह सीमा रेखा लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 110° कृत्रिम रेखा अर्थात् ब्रा (एफआर 830405) में रिज़ उन्नतांश 3213 तक जाती है। इसके बाद जीआर 836410, 840413 से होते हुए रिज़ के साथ अन्य कृत्रिम रेखा बनाती जाती है जहां यह जीआर 849419 में ईगल-नेस्ट-थुंगरे फुटपाथ में मिलती है। इसके बाद दक्षिण-पूर्व की ओर फुटपाथ के साथ-साथ जाती है यह जीआर 825385 में चाकू में मिलती है। इसके बाद सीमा लगभग 750 मीटर की दूरी तक लगभग 135° कृत्रिम रेखा से होते हुए यह तीपी नाला से मिलती है। इसके बाद जीआर 920364 में उत्तर पूर्व से यह सहायक नदियों के साथ संगम तक तीपी नाला के साथ संगम तक तीपी नाला के निचली धाराप्रवाह के साथ जाती है। इसके बाद लगभग 4.7 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 45° अन्य कृत्रिम सीधी रेखा बनाती जाती है, जहां यह जीआर 940383 में बमडीला-भालूकपोंग सड़क में मिलती है। इसके बाद जीआर 998365 में पीजोली तक पूर्व की ओर सड़क के साथ-साथ जाती है।
दक्षिण	इसके बाद इसकी सीमा चाकू सड़क के तलहटी और चोटी 1325 (जीआर 781291) को पार करके कृत्रिम रेखा चोटी 1192 (जीआर 982341) 1260 (जीआर 950321), 1384 (जीआर 864290), 1275(जीआर 815290) को छूती है। इसके बाद यह सीमा

	रेखा लगभग 3.6 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 270° कृत्रिम सीधी रेखा बनाती जाती है। जहां यह उत्तर (जीआर 745291) से किसी नाम रहित धारा में मिलती है।
पश्चिम	इसके बाद यह जीआर 705349 में स्रोत तक किसी नाम रहित धारा के ऊपरी धारा के साथ-साथ जाती है। इसके बाद यह सीमा रेखा 0.7 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 30° कृत्रिम सीधी रेखा की ओर आरंभिक बिंदु जाती है।

### सारणी ग : सेस्सा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशाएं	विवरण
उत्तर	चेकु तेंगा सड़क उन्नतांश 2781 में ईगलनेस्ट नामक बिन्दु से आरंभ होकर सड़क के सहारे-सहारे चेकु तेंगा सड़क (जी आर 891443 में) में बिंदु 68 किलोमीटर तक उत्तर की ओर जाती है जहां सहायक नदी जी आर 900459 में दोगोंगखो के साथ संगम पर मिलती है। इसके बाद दोगोंगखो नाला के बहाव के साथ-साथ यह जी आर 919445 में स्रोत तक जाती है जैसे अन्य अज्ञात धारा प्रवाह के साथ उसका संगम होता है। इसके बाद यह सीमा जी आर 920445 में दजी नाला की सहायक नदी के स्रोत तक 200 मीटर की दूरी तक लगभग 90° कृत्रिम सीधी रेखा के रूप में जाती है। इसके बाद जी आर 966453 में बोम्डीलाभालुपोंग सड़क पर पुल तक सहायक नदी और दीजी नाला के नीचे की ओर जाती है। इसके बाद 'ओ' बिंदु तक पूर्व की ओर बोम्डीलाभालुपोंग सड़क के साथ-साथ जाती है जो कि सेप्पा सड़क का जंक्शन बिंदु है।
पूर्व	इसके बाद बोम्डीला, भालुपोंग सड़क के साथ-साथ दक्षिण पश्चिम की ओर तब तक जाती है जब तक कि यह जी आर 956425 में सेस्सा नाला की सहायक नदियों को पार नहीं कर जाती है। इसके बाद यह सहायक नदियों के निचली धारा प्रवाह के साथ-साथ यह सेस्सा नाला के साथ संगम तक जाती है। इसके बाद यह सीमा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 180° के कृत्रिम सीधी रेखा के रूप में जाती है और यह जी आर 979390 में भालुपोंग बोम्डीला सड़क को पार कर जाती है।
दक्षिण	इसके बाद यह सड़क के साथ-साथ पश्चिम की ओर जी आर 740383 तक जाती है। इसके बाद सीमा लगभग 4.7 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 225° कृत्रिम सीधी रेखाके रूप में जाती है जो कि टीपी नाला की सहायक नदी के संगम तक है। यह जी आर 829382 का स्रोत है। इसके बाद 0.75 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 315° की कृत्रिम सीधी रेखा बनाती है जो कि जी आर 825385 में चाकु तक है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा उत्तर पूर्व की ओर चाकु तेंगा सड़क के साथ जाती है जो कि आरंभिक बिंदु तक है।

### सारणी घ: पाक्के बाघ रिज़र्व, सेस्सा आर्किड अभयारण्य एवं ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: पाक्के वन्यजीव अभयारण्य एवं बाघ रिज़र्व, सेस्सा आर्किड अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य तेंगा रिज़र्व वन के बफर जोन की उत्तर-पश्चिम सीमा पर भू-निर्देशांक 27°10'1.61"उ 92°35'26.62"पू में बिंदु से आरंभ होती है। इसके बाद भू-निर्देशांक 27°15'43.29"उ 92°53'46.85"पू तक, भू-निर्देशांक 27°11'24.34"उ 92°37'2.03"पू, 27°11'39.25"उ 92° 38' 29.44"पू, 27°11'37.45"उ 92°38'46.53"पू, 27°11'53.67"उ 92°40'15.74"पू, 27°13'54.45"उ 92°47'21.69"पू से होते हुए पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन की उत्तरी सीमा से होते हुए जाती है,

इसके बाद भू-निर्देशांक 27°13'36.58" उ 92°54'2.53" पू में बिंदु दक्षिण तक जाती है। जहां पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य तंगा रिज़र्व वन का बफर जोन समाप्त होता है। इसके बाद भू-निर्देशांकों 27°13'35.77"उ 92°55'14.00"पू, 27°13'53.90"उ 92°56'41.83"पू, 27°14'13.17"उ 92°59'24.85"पू, 27°14'7.86"उ 93°0'39.16"पू, 27°14'6.67"उ 93°2'41.76"पू, 27°13'25.37"उ 93°5'37.25" पू, 12°12'54.07"उ 93°5'51.46"पू के साथ 1 किलोमीटर की चौड़ाई सहित पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य तंगा रिज़र्व वन की सीमा के समानांतर जाती है, इसके बाद यह भू-निर्देशांक 26°58' 28.69"उ 93°1'35.96"पू सहित भू-निर्देशांक 26°55'42.11"उ 92°59'51.37"पू तक जाती है जो कि पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन का उत्तर-पूर्व भाग है।


**पूर्व :** इसके बाद सीमा भू-निर्देशांकों 26°56'13.12"उ 92°58'56.14"पू, 27°0'59.87"उ 92°39'7.11"पू, 27°0'27.81"उ 92°39'0.90"पू, 27°0'48.90"उ 92°37'56.61" पू, 27°1'32.84"उ 92°36'22.79"पू, 27°3'1.51"उ 92°35'18.38"पू, 27°3'37.49"उ 92°35'11.13"पू, 27°2'40.15"उ 92°33'58.13"पू से होते हुए पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य पपम रिज़र्व वन की पूर्वी सीमा सहित दक्षिण की ओर मुड़ती है, इसके बाद भू-निर्देशांक 27°1'33.45"उ 92°31'44.23"पू बिंदु तक जाती है।

**दक्षिण:** इसके बाद यह भू-निर्देशांक 27°1'22.69"उ 92°31'19.67"पू, 27°0'33.22"उ 92°28'4.21"पू बिंदु से होते हुए पश्चिम की ओर जाती है, इसके बाद भू-निर्देशांक 27°0'25.17"उ 92°25'27.20"पू बिंदु तक 1 किलोमीटर की चौड़ाई सहित पाक्के वन्यजीव अभयारण्य, पपम रिज़र्व वन की सीमा दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर समानांतर जाती है, यह भू-निर्देशांक 26°5'613.12"उ 92°58'56.14"पू असम के नमेरी राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ रिज़र्वकू उत्तर-पूर्व सीमा तक मिलती है, इसके बाद भू-निर्देशांक 27°0'59.87"उ 92°39'7.11"पू बिंदु तक असम के नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिज़र्व की उत्तरी सीमा और अरुणाचल प्रदेश के पाक्के बाघ रिज़र्व/वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा सहित है, इसके बाद निम्नलिखित भू-निर्देशांक 27°0'30.64"उ 92°22'30.01"पू, 27°0'30.77"उ 92°20'49.62"पू भू-निर्देशांक 27°0'30.57"उ 92°19'58.34"पू तक अभयारण्य की सीमा 1 किलोमीटर की चौड़ाई के समानांतर है, इसके बाद भू-निर्देशांक 27°2'13.48"उ 92°18'45.74"पू, 27°3'14.06"उ 92°17'19.55"पू, भू-निर्देशांक तक में बिंदु से होते हुए 1 किलोमीटर की चौड़ाई सहित ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के समानांतर जाती है।

**उत्तर-पश्चिम:** इसके बाद, भू-निर्देशांकों 27°4'52.95"उ 92°18'25.86"पू, 27°5'42.95"उ 92°18'58.78"पू, 27°7'0.82"उ 92°18'53.50"पू, 27°6'56.04"उ 92°21'11.19"पू, 27°7'47.40"उ 92°22'34.30"पू, 27°7'30.14"उ 92°23'33.42"पू, 27°7'44.07"उ 92°25'5.32"पू, 27°8'20.09"उ 92°26'54.27"पू में बिंदु से होते हुए 1.0 किलोमीटर की चौड़ाई सहित ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा समानांतर पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद भू-निर्देशांकों 27°9'0.52"उ 92°27'54.35"पू, 27°9'56.96"उ 92°28'32.96"पू, 27°10'38.00"उ 92°29'41.89"पू, 27°9'56.37"उ 92°30'34.02"पू, 27°9'57.27"उ 92°32'38.69"पू, 20°10'28.50"उ 92°34'42.55"पू में बिंदु से होते हुए 1.0 किलोमीटर की चौड़ाई सहित सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य की सीमा के समानांतर पूर्व की ओर जाती है, यह भू-निर्देशांक 27°10'1.61"उ 92°35'26.62"पू में पाक्के वन्यजीव अभयारण्य एवं बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आरंभिक बिंदु तक मिलती है।


अनुलग्नक – IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ-साथ पाक्रे बाघ रिज़र्व, सेसा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



अनुलग्नक – IIख


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पाक्रे बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र





अनुलग्नक – IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पाक्के बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



अनुलग्नक -III

सारणी क: पाक्के बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
क1	27°6'20.79"उ	92°36'9.87"पू
क2	27°8'2.94"उ	92°36'32.10"पू
क3	27°8'51.63"उ	92°37'35.71"पू
क4	27°8'57.67"उ	92°38'21.58"पू
क5	27°9'33.27"उ	92°40'8.22"पू
क6	27°10'3.33"उ	92°41'45.36"पू
क7	27°10'22.86"उ	92°43'7.98"पू
क8	27°10'58.14"उ	92°44'0.59"पू

क9	27°11'35.20"उ	92°45'0.03"पू
क10	27°11'39.19"उ	92°45'59.00"पू
क11	27°10'43.62"उ	92°47'7.45"पू
क12	27°10'34.02"उ	92°49'3.62"पू
क13	27°11'9.38"उ	92°49'54.20"पू
क14	27°11'46.33"उ	92°52'16.05"पू
क15	27°12'41.68"उ	92°54'10.87"पू
क16	27°13'2.24"उ	92°54'8.81"पू
क17	27°12'59.86"उ	92°55'17.56"पू
क18	27°13'21.17"उ	92°56'53.69"पू
क19	27°13'41.41"उ	92°59'17.60"पू
क20	27°13'24.59" उ	93°0'35.40"पू
क21	27°13'35.81"उ	93°2'30.69"पू
क22	27°12'47.24"उ	93°5'13.21"पू
क23	27°11'13.27"उ	93°5'59.28"पू
क24	27°10'43.72"उ	93°6'46.83"पू
क25	27°9'50.21"उ	93°5'54.20"पू
क26	27°7'14.26"उ	93°4'30.66"पू
क27	27°8'12.54"उ	93°0'10.24"पू
क28	27°9'3.74"उ	92°55'16.90"पू
क29	27°3'14.12"उ	92°56'47.51"पू
क30	27°4'2.40"उ	92°58'10.31"पू
क31	27°5'5.27"उ	93°0'28.66"पू
क32	27°5'15.41"उ	93°1'55.19"पू
क33	27°2'19.81"उ	93°2'3.41"पू
क34	27°0'0.87"उ	93°2'30.31"पू
क35	26°5'839.41"उ	93°0'54.45"पू
क36	26°5'613.12"उ	92°58'56.14"पू
क37	27°0'59.87"उ	92°39'7.11"पू
क38	27°4'16.55"उ	92°35'38.91"पू

सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य के लिए भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश			देशांतर		
	ख1	27	7	29.75	92	27

ख2	27	8	11.76	92	27	57.72
ख3	27	9	10.57	92	28	29.64
ख4	27	10	5.59	92	29	40.62
ख5	27	9	31.49	92	33	38.36
ख6	27	9	54.77	92	34	51.18
ख7	27	8	7.88	92	32	56.13
ख8	27	7	29.99	92	33	30.75
ख9	27	6	46.06	92	34	19.21
ख10	27	6	13.69	92	34	19.05
<b>ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के लिए भू-निर्देशांक</b>						
ग1	27	6	13.69	92	34	19.05
ग2	27	5	53.80	92	34	38.06
ग3	27	5	41.06	92	35	6.63
ग4	27	5	32.47	92	35	40.50
ग5	27	5	0.99	92	35	3.88
ग6	27	4	50.58	92	35	24.95
ग7	27	3	30.59	92	34	21.12
ग8	27	1	42.38	92	30	42.24
ग9	27	0	55.28	92	27	13.85
ग10	27	0	59.14	92	24	17.14
ग11	27	1	2.13	92	22	56.15
ग12	27	1	4.16	92	20	3.44
ग13	27	2	27.27	92	19	28.91
ग14	27	3	7.65	92	18	6.54

ग15	27	4	33.13	92	17	52.44
ग16	27	6	25.68	92	19	15.26
ग17	27	6	24.65	92	21	23.41
ग18	27	6	54.12	92	23	56.22
ग19	27	7	55.11	92	26	30.07

सारणी ख: पाक्के बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड वन्यजीव अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

पारिस्थितिकी संवेदी जोन पाक्के वन्यजीव अभयारण्य/बाघ रिज़र्व, सेस्सा ऑर्किड अभयारण्य और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक		
क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
घ1	27°10'1.61"उ	92°35'26.62"पू
घ2	27°11'24.34"उ	92°37'2.03"पू
घ3	27°11'39.25"उ	92°38'29.44"पू
घ4	27°11'37..45"उ	92°38'46.53"पू
घ5	27°11'53.67"उ	92°40'15.74"पू
घ6	27°13'54.45"उ	92°47'21.69"पू
घ7	27°15'43.29"उ	92°53'46.85"पू
घ8	27°13'36.58"उ	92°54'2.53"पू
घ9	27°13'35.77"उ	92°55'14.00"पू
घ10	27°13'53.90"उ	92°56'41.83"पू
घ11	27°14'13.17"उ	92°59'24.85"पू
घ12	27°14'7.86"उ	93°0'39.16"पू
घ13	27°14'6.67"उ	93°2'41.76"पू
घ14	27°13'25.37"उ	93°5'37.25"पू

घ15	27°12'54.07"उ	93°5'51.46"पू
घ16	26°58'28.69"उ	93°1'35.96"पू
घ17	26°55'42.11"उ	92°59'51.37"पू
घ18	26°56'13.12"उ	92°58'56.14"पू
घ19	27°0'59.87"उ	92°39'7.11"पू
घ20	27°0'27.81"उ	92°39'0.90"पू
घ21	27°0'48.90"उ	92°37'56.61"पू
घ22	27°1'32.84"उ	92°36'22.79"पू
घ23	27°3'1.51"उ	92°35'18.38"पू
घ24	27°3'37.49"उ	92°35'11.13"पू
घ25	27°2'40.15"उ	92°33'58.13"पू
घ26	27°1'33.45"उ	92°31'44.23"पू
घ27	27°1'22.69"उ	92°31'19.67"पू
घ28	27°0'33.22"उ	92°28'4.21"पू
घ29	27°0'25.17"उ	92°25'27.20"पू
घ30	27°0'28.85"उ	92°23'18.41"पू
घ31	27°0'30.64"उ	92°22'30.01"पू
घ32	27°0'30.77"उ	92°20'49.62"पू
घ33	27°0'30.57"उ	92°19'58.34"पू
घ34	27°2'13.48"उ	92°18'45.74"पू
घ35	27°3'14.06"उ	92°17'19.55"पू
घ36	27°4'21.20"उ	92°17'4.49"पू
घ37	27°4'52.95"उ	92°18'25.86"पू

घ38	27°5'42.95"उ	92°18'58.78"पू
घ39	27°7'0.82"उ	92°18'53.50"पू
घ40	27°6'56.04"उ	92°21'11.19"पू
घ41	27°7'47.40"उ	92°22'34.30"पू
घ42	27°7'30.14"उ	92°23'33.42"पू
घ43	27°7'44.07"उ	92°25'5.32"पू
घ44	27°8'20.09"उ	92°26'54.27"पू
घ45	27°9'0.52"उ	92°27'54.35"पू
घ46	27°9'56.96"उ	92°28'32.96"पू
घ47	27°10'38.00"उ	92°29'41.89"पू
घ48	27°9'56.37"उ	92°30'34.02"पू
घ49	27°9'57.27"उ	92°32'38.69"पू
घ50	27°10'28.50"उ	92°34'42.55"पू

## अनुलग्नक-IV

## भू-निर्देशांक के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम नाम	तहसील/तालुक	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1.	नीति डालॉन्ग	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°56'19.24"	पू 92°59'38.09"
2.	डालॉन्ग	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°56'36.21"	पू 92°59'50.62"
3.	निचला सीजोसा	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°57'18.12"	पू 93° 0'24.20"
4.	ऊपरी सीजोसा	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°57'28.27"	पू 93° 0'38.63"
5.	निचली बाली बस्ती	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°58'22.25"	पू 93° 0'57.57"
6.	ऊपरी बाली बस्ती	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°58'43.48"	पू 93° 1'11.72"
7.	ए-I	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°58'41.94"	पू 93° 1'36.76"
8.	ए-II	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°58'57.35"	पू 93° 1'45.98"
9.	ए-III	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°59'39.70"	पू 93° 2'16.65"
10.	गोलोसो	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 26°59'57.80"	पू 93° 2'29.54"

11.	जाँली	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 27° 0'31.15"	पू 93° 2'21.76"
12.	लंगका	सेइजोसा	पाक्केकेसांग	उ 27° 0'57.56"	पू 93° 2'41.05"
13.	योर्टपोबे	पाक्केकेसांग	पाक्केकेसांग	उ 27°12'57.01"	पू 93° 5'19.39"
14.	सेवा	सेप्पा	पाक्केकेसांग	उ 27°13'41.69"	पू 93° 2'23.76"
15.	किमी	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27°10'34.71"	पू 92°42'37.28"
16.	एलिफैंट फ्लैटे	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27° 5'29.05"	पू 92°35'42.40"
17.	पिंजोली	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27° 4'29.30"	पू 92°35'31.55"
18.	टिप्पी	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27° 1'39.98"	पू 92°36'43.33"
19.	भालुकपोंग	भालुकपोंग	पश्चिम कामेंग	उ 27° 0'59.72"	पू 92°38'48.83"

## अनुलग्नक -V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र :-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की प्रकट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सारा विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सारा विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सारा विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का संक्षेप ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2023

**S.O. 3780(E).**—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 1567 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2022, and final notification S.O. 2943(E) dated 28<sup>th</sup> August, 2020 the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

**Draft Notification**

**WHEREAS**, the Sessa Orchid Sanctuary is spread over an area of 100 square kilometer and situated in West Kameng District of Arunachal Pradesh. The Sanctuary was notified on 19th July'1982 vide notification no. FOR.32/IND-1/82/17706-45 Dtd.19.07.1982.

**AND WHEREAS**, the Eagle Nest Wildlife Sanctuary is spread over an area of 217 Square Kilometers and situated in the Singchung administrative circle of West Kameng district in the state of Arunachal Pradesh. The sanctuary was notified CWL/D/27/89/3101-3174 dated 18.10.1989.

**AND WHEREAS**, the Sessa Orchid Sanctuary is known for indigenous Orchids available in the region. This sanctuary is for protection & Conservation including development of in-situ Orchids. Apart from protection & conservation of Orchids, it helps in protection of wildlife and the rich biodiversity found in the Sanctuary.

**AND WHEREAS**, the Pakke Tiger Reserve is located in the Pakke Kessang district of Arunachal Pradesh. It is surrounded by the Tenga Reserve Forest to the North, Doimar a Reserve Forest on the West, Nameri National Park & Tiger Reserve (Assam) on the South and some agricultural land as well as Papum Reserve Forest on the East. The area was earlier known as Pakhui reserve forest was renamed Pakhui Wildlife Sanctuary, notified on 19<sup>th</sup> April 2001 vide notification No. CWL/D/26/94/1393-1492, dated 19.04.2001. In 2002, Pakhui Wildlife Sanctuary was renamed to Pakke Wildlife Sanctuary on 19<sup>th</sup> April 2002 vide notification No. CWL/D/26/94/154-92, dated 19.04.2002. Later in 2002, Pakke Wildlife Sanctuary was declared as Pakke Tiger Reserve on 23<sup>rd</sup> April 2002 vide notification No. CWL/D/20/94/1742-1791, dated 23.04.2002.

**AND WHEREAS**, the biodiversity of Eaglenest Wildlife Sanctuary is reflected in diverse faunal communities like Red Panda (*Ailurus fulgens*), Himalayan Serow (*Capricornis thar*) and Clouded Leopard (*Neofelis nebulosa*) reside within the protected area.

**AND WHEREAS**, Eaglenest Wildlife Sanctuary is particularly well known for its bird community and has rare species. One remarkable avian species is the Bugun Liocichla (*Liocichla bugunorum*), reported only from few locations within the protected area. Other rare birds like Beautiful Nuthatch (*Sitta castanea*), Blyth's Tragopan (*Tragopan blythii*.) and Rufous-necked Hornbill (*Aceros nipalensis*) are found here.

**AND WHEREAS**, the Eaglenest Wildlife sanctuary is also home to rare butterflies like the Ludlow's Bhutan Glory (*Bhutanitis ludlowi*), Tibetan Brimstone (*Gonepteryx amintha tibetana nekrutenko*) and endangered plants including some magnificent Rhododendrons species. Besides this spectacular diversity, large ranging species such as Asiatic elephant (*Elephas maximus*), Indian gaur (*Bos gaurus*) and Wreath hornbill (*Rhyticeros undulatus*) that in habitats within the sanctuary.

**AND WHEREAS**, the forests of North-East India are recognized as a 'Global Biodiversity Hotspot' and 'Endemic Bird Area' due to their richness in floral and faunal species. The landscape has high species diversity and endemism as it forms the transition zone between the Indian and Malayan eco-regions.

**AND WHEREAS**, the two important parts of the North-East Indian tiger landscape are the Brahmaputra flood plains and the North-East Indian hills. The Pakke and Nameri Tiger Reserves are situated North of the river Brahmaputra in the transition zone between the Assam plains and the hilly forests of Arunachal Pradesh. Together, they form one of the largest blocks of semi-evergreen and evergreen forests in the North-East.

**AND WHEREAS**, they are extremely important in maintaining contiguity within the North-East Indian forests and are centrally located within the Western Assam and Arunachal forests. On the West, they are connected with Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary through Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eaglenest Wildlife sanctuary, on the South with Kaziranga Tiger Reserve and Karbi-Anglong hills, and towards the North, they are contiguous with Tale valley and Lower Subansiri forests, which are contiguous with East – Siang and further into Namdapha Tiger Reserve in Changlang district in eastern Arunachal Pradesh.

**AND WHEREAS**, the major floral species present in the area are Hollock (*Terminelia myriocarpa*), Bonsum (*Phoebe goalparensis*), Amari (*Amora wallichii*), Borpat (*Ailanthus grandis*), Satiana (*Alstonia scholaris*), Hatipoila (*Pterospermum acerifolium*), samkathal (*Artocarpus chaplasi*), Nahar (*Mesua ferrea*), Titasopa (*Michelia champaca*), Jutuli (*Altingia excelsa*), Sopa (*Magnolia* species), Bogipoma (*Chakrasia tabularis*), Poma (*Toonaciliata*), Udal (*Sterculia villosa*), Hingori (*Castenopsis* species), Hilika (*Terminelia chebula*), Dhuna (*Canarium resniferum*), Gonsoroi (*Cinnamomum cesciodaphne*), Gamari (*melina arboria*), Pichola (*Kydia calycina*), Bohera (*Terminelia belerica*), etc.

**AND WHEREAS**, the Pakke Tiger Reserve, Eaglenest Wildlife Sanctuary Sessa Orchid Sanctuary provides habitat for faunal species such as Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), Assamese macaque (*Macaca assamensis*), Capped langur (*Trachypithecus pileatus*), Barking deer or Indian muntjac (*Muntiacus muntjak*), Sambar (*Cervus unicolor*), Serow (*Naemorhedus sumatraensis*), Wild boar (*Sus scrofa*), Asiatic elephant (*Elephas maximus*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Wild dog (*Cuon alpinus*), Tiger (*Panthera tigris*), Common leopard (*Panther pardus*), Clouded leopard (*Neofelis nebulosa*), Marbled cat (*Pardofelis marmorata*), Jungle cat (*Felis chaus*), Leopard cat



(*Prionailurus bengalensis*), Fishing cat (*Prionailurus viverrinus*), Ferret badger (*Melogale personata*), Common palm civet (*Paradoxurus hermaphrodites*), Yellow throated marten (*Martes flavigula*), Small Asian mongoose (*Herpestes javanicus*), Grey mongoose (*Herpestes edwardsii*), Chinese pangolin (*Manis pentadactyla*), Mole (*Eurosaptor micrura*), Himalaya crestless squirrel (*Hystrix brachyuran*), Malayan giant squirrel (*Ratufa bicolor*), Hoary bellied Himalayan squirrel (*Callosciurus pygerythrus*), Pallas's squirrel (*Callosciurus erythraeus*), Orange-bellied Himalayan squirrel (*Dremomyslokriah.*) Common giant flying squirrel (*Petaurista petaurista*), Particoloured flying squirrel (*Hylopetes alboniger*), Sikkim mouse (*Mus pahari*), Palm mouse (*Vandeleuria oleracea*), Bandicoot rat (*Bandicota bengalensis*), Jungle rat (*Rattus sikkimensis*), Bamboo rat (*Rhizomys pruinosus*), House or grey musk shrew (*Suncus murinus*), Grey shrew – (*Crocidura attenuate*), Tree shrew (*Tupaia belangeri*), Bats of Micro and Mega chiropteragroup Species could not be identified due to lack of expertise except the Gaint flying fox

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Pakke Tiger Reserve, Eaglenest Wildlife Sanctuary and Sessa Orchid Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 0 kilometers to 37.60 kilometers around the boundary of Pakke Tiger Reserve, Eagle Nest Wildlife Sanctuary and Sessa Orchid Sanctuary in the State of Arunachal Pradesh as the Pakke Tiger Reserve, Eagle Nest Wildlife Sanctuary Sessa Orchid Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) the extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0 kilometers to 37.60 kilometers around the Pakke Tiger Reserve, Eagle Nest Wildlife Sanctuary and Sessa Orchid Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 766.20 square kilometers. The Extent of Eco-Sensitive zone in different directions (kilometres) as given below:-

DIRECTION	EXTENT
North	1.0 Km
North-East	1.0 to 2.5 Km
East	2.0 to 37.60 km
South-East	1.0 Km
South	0 Km
South-West	1 Km
West	1 Km
North-West	1 Km

**Note :** Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to Nameri National Park & Tiger Reserve of Assam lies in the southern part of Pakke Wildlife Sanctuary & Tiger Reserve. The boundary of the Sanctuary is base marked by prominent and noticeable features like ridges & gorges, streams & nallahs.

- (2) The boundary description of Eco-sensitive Zone is at **Annexure- I**
- (3) The map of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A, II B and II C.**
- (4) The geo-coordinates of Tiger Reserve, Eagle Nest Wildlife Sanctuary and Sessa Orchid Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III .**
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

**2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.** –

- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:
- i. Environment,
  - ii. Forest and Wildlife,
  - iii. Agriculture,
  - iv. Revenue,
  - v. Urban Development,
  - vi. Tourism,
  - vii. Rural Development,
  - viii. Irrigation and Flood Control,
  - ix. Municipal,
  - x. Panchayati Raj,
  - xi. Public Works Department,
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.** -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

**(1) Land use.—**

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

- i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- iii. Small scale industries not causing pollution;
- iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- v. Promoted activities and given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas
- (3) **Tourism or Eco-tourism.-**
- a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
  - b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;
  - c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
  - d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;
  - e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
    - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:
 

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
    - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
    - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** -Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.** -Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

- (8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
  - Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** –Bio medical waste management shall be as under:
- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.
  - Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial units.** –
- On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
  - Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:
- The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
  - No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

#### 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest

(Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone;  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited
<b>B. Regulated Activities</b>		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities.  Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) No New commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:  Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities

		<p>mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of Trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
21.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
22.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
23.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
24.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

<b>C. Promoted Activities</b>		
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
33.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
34.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

#### **5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification:**

For monitoring compliance of the provisions of this notification, the Central Government constitutes a Monitoring Committee comprising of the following namely:-

<b>S.N</b>	<b>Constituent of the Monitoring Committee</b>	<b>Designation</b>
1.	Deputy Commissioner, West Kameng District Arunachal Pradesh	Chairman;
2.	Member Secretary, State Biodiversity Board	Member;
3.	Representative from Urban Development Department, West Kameng District, Pakke Kessang District , Arunachal Pradesh	Member;
4.	Representative from Public Works Department, West Kameng District, Pakke Kessang District, Arunachal Pradesh	Member;
5.	Representative from Rural Works Department, West Kameng District, Pakke Kessang District, Arunachal Pradesh	Member;
6.	A representative of Non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government	Member;
7.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government	Member;
8.	Divisional Forest Officer, Shergaon ( Eagle Nest Wildlife Sanctuary)	Member;
9.	Divisional Forest Officer, Khellong (Sessa Orchid Sanctuary)	Member;
10.	Divisional Forest Officer, Pakke Forest Division Pakke Wildlife Sanctuary & Tiger Reserve	Member Secretary.

#### **6. Terms and Functions:**

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinize, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma appended at **Annexure V**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

- 7. Additional measures:** - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 8. Orders, Supreme Court, etc.:-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/08/2021-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist-G

#### **ANNEXURE-I**

**Table A: BOUNDARY DESCRIPTION OF PAKKE WILDLIFE SANCTURY**

<b>Directions</b>	<b>Description</b>
<b>North</b>	From the point on the Bhorali river near Sicham when it change its Westerly direction to Southwards. Thence along the right bank of the Bhorali Eastward to its confluence with Passuni river thence along the right bank of the Passuni river Eastward to the confluence with one of its tributaries about 4 miles East from its junction with Miri Ipatha River
<b>East</b>	Thence Southwards along the right bank of this tributary to its source and across the ridge to the source of one of the tributaries of the Pakhui riever (which tributaries crosses the foothpath from Sema to Xelangania village about 4/1 mile from its junction with the pakhuni River). Thence along the left bank of the tributary the Pakhui River.  Thence along the left bank of the Pakhui river to the point where it crosses the inner line.
<b>South</b>	Thence along the Inner line to the point where it crosses the Bhorali River.
<b>West</b>	Thence along the left bank of the Bhorali Northwards to the Starting point.

**Table B: BOUNDARY DESCRIPTION OF EAGLE NEST WILDLIFE SANCTUARY**

<b>Directions</b>	<b>Description</b>
<b>North and East</b>	From the point at alt. 2966 at Nganpe (GR 707355) the boundary follows an artificial line along the ridges through GR 723351,727364, 732368, 736372, 738375, 734383, till it meets the Doimara Shergaon foot-path. Thence along the



	<p>foot path towards North West upto its junction with Pirla, Shergaon foot-path. East Ward till it meets Chaku Thungre foot-path at (alt.2829) Pirla GR 815408.</p> <p>Thence the boundary follows an artificial line about 110° for a distance of 2 Km. approx. i.e. 'upto' ridge alt. 3213 at Bra (FR 830405). Thence another artificial line along the ridge though GR 836410,840413 till it meets the Eagle Nest- Thungre footpath at GR 849419. Thence along foot-path in South East wards till it meets Chaku at GR 825385. Thence the boundary follows an artificial line about 135° for a distance of 750 meters approx. Till it meets Tipi Nallah. Thence along the downstream of Tipi Nallah upto the confluence with its tributary coming from North East at GR 920364. Thence another artificial straight line about 45° for a distance 4.7 Km. approx. till it meets the Bomdila- Bhalukpong road at GR 940383. Thence along the road towards East upto Pinjoli at. GR 998365.</p>
<b>South</b>	<p>Thence the boundary follows an artificial line touching picks 1192 (GR 982341) 1260 (GR 950321), 1384 (GR 864290), 1275 (GR 815290) by crossing foothill of Chaku road, and pick 1325 (GR 781291). Thence the boundary follows an artificial straight line about 270° for a distance of 3.6 km approx till it meets unnamed stream coming from North (GR 745291).</p>
<b>West</b>	<p>Thence along the upstream of that unnamed Nallah upto its source at GR 705349. Thence the boundary follows an artificial straight Line about 30° for a distance of 0.7 Km, the starting point.</p>

**Table C: BOUNDARY DESCRIPTION OF SESSA ORCHID WILDLIFE SANCTUARY**

<b>Directions</b>	<b>Description</b>
<b>North</b>	<p>Starting from the point named Eaglenest at Cheku Tenga road alt.2781 follows the road towards Norther upto 68km.point at Chaku Tenga road (at GR 891443) where a tributary upto its confluence with Dogongkho at GR 900459.Thence downstream of Dogongkho Nallah upto its confluence with another unnamed stream upto its source at GR 919445.Thence the boundary follows &amp; artificial straight line about 90° for a distance of 200 mtr.i.e.upto the source of a tributary of Dji nallah at GR 920445.Thence along the downstream of that tributary and Diji nallah upto a bridge on Bomdila Bhalukpong road at GR 966453.Thence along the BomdilaBhalukpong road towards East upto 'O' point i.e. junction point of Seppa road.</p>
<b>East</b>	<p>Thence along the Bomdila, Bhalukpong road in South-West wards till it crosses the tributary of Sessa Nallah at GR 956425.Thence along downstream of that tributary upto its confluence with Sessa Nallah. Thence the boundary follows an artificial straight line about 180° for a distance of 1 km. approx. till it crosses the Bhalukpong Bomdila road at GR 979390.</p>
<b>South</b>	<p>Thence along the road west wards upto GR 740383.Thence the boundary follows an artificial straight line about 225° for a distance of 4.7kms.approx. i.e.upto the confluence of a tributary of Tipi nallah its source at GR 829382.Thence an artificial straight line about 315° for a distance of 0.75 km.i.e.upto chaku at GR 825385.</p>
<b>West</b>	<p>Thence the boundary follows along the Chaku - Tenga road North East wards upto the starting point.</p>

**Table D: BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND PAKKE TIGER RESERVE, SESSA ORCHID SANCTUARY & EAGLE NEST WILDLIFE SANCTUARY**

**NORTH:** The boundary of combined Eco-Sensitive Zone of Pakke Wildlife Sanctuary & Tiger Reserve, Sessa Orchid Sanctuary and Eagle Nest Wildlife Sanctuary, starts from a point at geo co-ordinates 27°10'1.61"N 92°35'26.62"E, on the north-west boundary of buffer zone of Pakke TR/WLST-Tenga RF. Thence following the northern boundary of buffer zone of Pakke TR/WLS- Tanga RF through the geo co-ordinates 27°11'24.34" N 92°37'2.03"E, 27°11'39.25" N 92°38'29.44"E, 27°11'37.45"N 92°38'46.53"E, 27°11'53.67"N 92°40'15.74"E, 27°13'54.45" 92°47'21.69"E upto the geo co-ordinates 27°15'43.29"N 92°53'46.85"E, thence towards south upto a point at geo co-ordinates 27°13'36.58"N 92°54'2.53" E where buffer zone of Pakke TR/WLS- Tanga RF ends. Thence parallel to the boundary of Pakke TR/WLS- Tanga RF with a width of 1 km along the geo co-ordinates 27°13'35.77"N 92°55'14.00"E 27°13'53.90"N 92°56'41.83"E, 27°14'13.17"N 92°59'24.85"E, 27°14'7.86"N 93°0'39.16"E, 27°14'6.67"N 93°2'41.76"E, 27°13'25.37"N 93°5'37.25"E, 12°12'54.07"N 93°5'51.46"E thence to the north east portion of buffer zone of Pakke TR/WLS- Papum RF along the geo co-ordinates 26°58' 28.69"N 93°1'35.96"E up to the geo coordinates 26°55'42.11"N 92°59'51.37"E.


**EAST:** Thence the boundary move towards south- wards along the eastern boundary of Pakke TR/WLS- Papum RF through the geo co-ordinates 26°56'13.12"N 92°58'56.14"E, 27°0'59.87"N 92°39'7.11"E, 27°0'27.81"N 92°39'0.90"E, 27°0'48.90"N 92°37'56.61"E, 27°1'32.84"N 92°36'22.79"E, 27°3'1.51"N 92°35'18.38"E, 27°3'37.49"N 92°35'11.13"E, 27°2'40.15"N 92°33'58.13"E thence upto the point at geo co-ordinates 27°1'33.45"N 92°31'44.23"E.

**SOUTH:** Thence towards west through the point at geo co-ordinates 27°1'22.69"N 92°31'19.67"E, 27°0'33.22"N 92°28'4.21"E, thence towards south west direction parallel to the boundary of Pakke WLS Papum RF with a width of 1 km upto a point at geo co-ordinates 27°0'25.17"N 92°25'27.20"E till it meet north east boundary of Nameri National Park & TR of Assam at geo co-ordinates 26°5'613.12"N 92°58'56.14"E thence along the northern boundary of Nameri National Park & TR of Assam and southern boundary of Pakke TR/ WLS of Arunachal Pradesh upto a point at geo co-ordinates 27°0'59.87"N 92°39'7.11"E thence width of 1 km parallel to the boundary of the Sanctuary following geo co-ordinates 27°0'30.64"N 92°22'30.01"E, 27°0'30.77"N 92°20'49.62"E, up to the geo co-ordinates 27°0'30.57"N 92°19'58.34"E thence parallel to the boundary of Eaglenest WLS with a width of 1 km through the points at the geo co-ordinates 27°2'13.48"N 92°18'45.74"E, 27°3'14.06"N 92°17'19.55"E, up to the geo co-ordinates 27°4'21.20"N 92°17'4.49"E.

**NORTH-WEST:** Thence, towards west parallel to boundary of Eagle Nest WLS with a width of 1.0 km through points at geo co-ordinates 27°4'52.95"N 92°18'25.86"E, 27°5'42.95"N 92°18'58.78"E, 27°7'0.82"N 92°18'53.50"E, 27°6'56.04"N 92°21'11.19"E, 27°7'47.40"N 92°22'34.30"E, 27°7'30.14"N 92°23'33.42"E, 27°7'44.07"N 92°25'5.32"E, upto 27°8'20.09"N 92°26'54.27"E. Thence towards east parallel to boundary of Sessa Orchid Sanctuary with a width of 1.0 km through the points at geo co-ordinates, 27°9'0.52"N 92°27'54.35"E, 27°9'56.96"N 92°28'32.96"E, 27°10'38.00"N 92°29'41.89"E, 27°9'56.37"N 92°30'34.02"E, 27°9'57.27"N 92°32'38.69"E, 20°10'28.50"N 92°34'42.55"E till it meet the starting point of combined Eco-Sensitive Zone of Pakke Wildlife Sanctuary & Tiger Reserve, Sessa Orchid Sanctuary and Eagle Nest Wildlife Sanctuary at geo co-ordinates 27°10'1.61"N 92°35'26.62"E.


**ANNEXURE II A**

**Map of Eco-sensitive Zone of Pakke Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eaglenest Wildlife Sanctuary along with latitude and longitude of Prominent Locations**




**ANNEXURE II B**

**Map of Eco-sensitive Zone of Pakke Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eaglenest Wildlife Sanctuary along with latitude and longitude of Prominent Locations**



**ANNEXURE II C**

**Map of Eco-sensitive Zone of Pakke Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eaglenest Wildlife Sanctuary along with latitude and longitude of Prominent Locations**



**ANNEXURE- III**

**TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Pakke Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eaglenest Wildlife Sanctuary**

GEOCORDINTES FOR PAKKE TIGER RESERVE			
SL	LATITUDE	LONGITUDE	
A1	27°6'20.79" N	92°36'9.87"E	
A2	27°8'2.94"N	92°36'32.10"E	
A3	27°8'51.63"N	92°37'35.71"E	
A4	27°8'57.67"N	92°38'21.58"E	

A5	27°9'33.27"N	92°40'8.22"E
A6	27°10'3.33"N	92°41'45.36"E
A7	27°10'22.86"N	92°43'7.98"E
A8	27°10'58.14"N	92°44'0.59"E
A9	27°11'35.20"N	92°45'0.03"E
A10	27°11'39.19"N	92°45'59.00"E
A11	27°10'43.62"N	92°47'7.45"E
A12	27°10'34.02"N	92°49'3.62"E
A13	27°11'9.38"N	92°49'54.20"E
A14	27°11'46.33"N	92°52'16.05"E
A15	27°12'41.68"N	92°54'10.87"E
A16	27°13'2.24"N	92°54'8.81"E
A17	27°12'59.86"N	92°55'17.56"E
A18	27°13'21.17"N	92°56'53.69"E
A19	27°13'41.41"N	92°59'17.60"E
A20	27°13'24.59" N	93°0'35.40"E
A21	27°13'35.81"N	93°2'30.69"E
A22	27°12'47.24"N	93°5'13.21"E
A23	27°11'13.27"N	93°5'59.28"E
A24	27°10'43.72"N	93°6'46.83"E
A25	27°9'50.21"N	93°5'54.20"E
A26	27°7'14.26"N	93°4'30.66"E
A27	27°8'12.54"N	93°0'10.24"E
A28	27°9'3.74"N	92°55'16.90"E
A29	27°3'14.12"N	92°56'47.51"E
A30	27°4'2.40"N	92°58'10.31"E
A31	27°5'5.27"N	93°0'28.66"E
A32	27°5'15.41"N	93°1'55.19"E
A33	27°2'19.81"N	93°2'3.41"E
A34	27°0'0.87"N	93°2'30.31"E
A35	26°5'839.41"N	93°0'54.45"E
A36	26°5'613.12"N	92°58'56.14"E
A37	27°0'59.87"N	92°39'7.11"E
A38	27°4'16.55"N	92°35'38.91"E

<b>GEOCOORDINTES FOR SESSA ORCHID SANCTUARY</b>						
<b>SL</b>	<b>LATITUDE</b>			<b>LONGITUDE</b>		
B1	27	7	29.75	92	27	22.84
B2	27	8	11.76	92	27	57.72
B3	27	9	10.57	92	28	29.64
B4	27	10	5.59	92	29	40.62
B5	27	9	31.49	92	33	38.36
B6	27	9	54.77	92	34	51.18
B7	27	8	7.88	92	32	56.13
B8	27	7	29.99	92	33	30.75
B9	27	6	46.06	92	34	19.21
B10	27	6	13.69	92	34	19.05
<b>GEOCOORDINTES FOR EAGLENEST WILDLIFE SANCTUARY</b>						
C1	27	6	13.69	92	34	19.05
C2	27	5	53.80	92	34	38.06
C3	27	5	41.06	92	35	6.63
C4	27	5	32.47	92	35	40.50
C5	27	5	0.99	92	35	3.88
C6	27	4	50.58	92	35	24.95
C7	27	3	30.59	92	34	21.12
C8	27	1	42.38	92	30	42.24
C9	27	0	55.28	92	27	13.85
C10	27	0	59.14	92	24	17.14
C11	27	1	2.13	92	22	56.15
C12	27	1	4.16	92	20	3.44
C13	27	2	27.27	92	19	28.91
C14	27	3	7.65	92	18	6.54
C15	27	4	33.13	92	17	52.44
C16	27	6	25.68	92	19	15.26
C17	27	6	24.65	92	21	23.41
C18	27	6	54.12	92	23	56.22
C19	27	7	55.11	92	26	30.07

**TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations for Eco-sensitive Zone along the boundary of Pakke Tiger Reserve, Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eaglenest Wildlife Sanctuary**

<b>GEOCOORDINTES FOR ESZ PAKKE WLS/TR,SESSA OS &amp; EAGLE NEST WLS</b>		
<b>SL</b>	<b>LATITUDE</b>	<b>LONGITUDE</b>
D1	27°10'1.61"N	92°35'26.62"E
D2	27°11'24.34"N	92°37'2.03"E
D3	27°11'39.25"N	92°38'29.44"E
D4	27°11'37.45"N	92°38'46.53"E
D5	27°11'53.67"N	92°40'15.74"E
D6	27°13'54.45"N	92°47'21.69"E
D7	27°15'43.29"N	92°53'46.85"E
D8	27°13'36.58"N	92°54'2.53"E
D9	27°13'35.77"N	92°55'14.00"E
D10	27°13'53.90"N	92°56'41.83"E
D11	27°14'13.17"N	92°59'24.85"E
D12	27°14'7.86"N	93°0'39.16"E
D13	27°14'6.67"N	93°2'41.76"E
D14	27°13'25.37"N	93°5'37.25"E
D15	27°12'54.07"N	93°5'51.46"E
D16	26°58'28.69"N	93°1'35.96"E
D17	26°55'42.11"N	92°59'51.37"E
D18	26°56'13.12"N	92°58'56.14"E
D19	27°0'59.87"N	92°39'7.11"E
D20	27°0'27.81"N	92°39'0.90"E
D21	27°0'48.90"N	92°37'56.61"E
D22	27°1'32.84"N	92°36'22.79"E
D23	27°3'1.51"N	92°35'18.38"E
D24	27°3'37.49"N	92°35'11.13"E
D25	27°2'40.15"N	92°33'58.13"E
D26	27°1'33.45"N	92°31'44.23"E
D27	27°1'22.69"N	92°31'19.67"E
D28	27°0'33.22"N	92°28'4.21"E



D29	27°0'25.17"N	92°25'27.20"E
D30	27°0'28.85"N	92°23'18.41"E
D31	27°0'30.64"N	92°22'30.01"E
D32	27°0'30.77"N	92°20'49.62"E
D33	27°0'30.57"N	92°19'58.34"E
D34	27°2'13.48"N	92°18'45.74"E
D35	27°3'14.06"N	92°17'19.55"E
D36	27°4'21.20"N	92°17'4.49"E
D37	27°4'52.95"N	92°18'25.86"E
D38	27°5'42.95"N	92°18'58.78"E
D39	27°7'0.82"N	92°18'53.50"E
D40	27°6'56.04"N	92°21'11.19"E
D41	27°7'47.40"N	92°22'34.30"E
D42	27°7'30.14"N	92°23'33.42"E
D43	27°7'44.07"N	92°25'5.32"E
D44	27°8'20.09"N	92°26'54.27"E
D45	27°9'0.52"N	92°27'54.35"E
D46	27°9'56.96"N	92°28'32.96"E
D47	27°10'38.00"N	92°29'41.89"E
D48	27°9'56.37"N	92°30'34.02"E
D49	27°9'57.27"N	92°32'38.69"E
D50	27°10'28.50"N	92°34'42.55"E

**Annexure IV****List of villages inside the ESZ with Geo-Coordinates**

Sl. No.	Village Name	Tehsil/Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1.	Niti Darlong	Seijosa	PakkeKessang	N 26°56'19.24"	E 92°59'38.09"
2.	Darlong	Seijosa	PakkeKessang	N 26°56'36.21"	E 92°59'50.62"
3.	Lower Seijosa	Seijosa	PakkeKessang	N 26°57'18.12"	E 93° 0'24.20"
4.	Upper Seijosa	Seijosa	PakkeKessang	N 26°57'28.27"	E 93° 0'38.63"
5.	Lower Bali Basti	Seijosa	PakkeKessang	N 26°58'22.25"	E 93° 0'57.57"
6.	Upper Bali Basti	Seijosa	PakkeKessang	N 26°58'43.48"	E 93° 1'11.72"
7.	A-I	Seijosa	PakkeKessang	N 26°58'41.94"	E 93° 1'36.76"
8.	A-II	Seijosa	PakkeKessang	N 26°58'57.35"	E 93° 1'45.98"
9.	A-III	Seijosa	PakkeKessang	N 26°59'39.70"	E 93° 2'16.65"
10.	Goloso	Seijosa	PakkeKessang	N 26°59'57.80"	E 93° 2'29.54"

11.	Jolly	Seijosa	PakkeKessang	N 27° 0'31.15"	E 93° 2'21.76"
12.	Langka	Seijosa	PakkeKessang	N 27° 0'57.56"	E 93° 2'41.05"
13.	YortePobe	PakkeKessang	PakkeKessang	N 27° 12'57.01"	E 93° 5'19.39"
14.	Seba	Seppa	PakkeKessang	N 27° 13'41.69"	E 93° 2'23.76"
15.	Kimi	Bhalukpong	West Kameng	N 27° 10'34.71"	E 92° 42'37.28"
16.	Elephant Flat	Bhalukpong	West Kameng	N 27° 5'29.05"	E 92° 35'42.40"
17.	Pinjoli	Bhalukpong	West Kameng	N 27° 4'29.30"	E 92° 35'31.55"
18.	Tippi	Bhalukpong	West Kameng	N 27° 1'39.98"	E 92° 36'43.33"
19.	Bhalukpong	Bhalukpong	West Kameng	N 27° 0'59.72"	E 92° 38'48.83"

**Annexure V****PROFORMA OF ACTION TAKEN REPORT**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.